राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 07 मार्च, 2018

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

प्रतिवेदन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राज्य वित्त) सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य, विधान सभा, जिला मुख्यालय भीलवाड़ा के जिला एवं सैशन न्यायालय परिसर हेतु आवंटित भूमि का राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख शीघ्र जारी करने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अंराई पर संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में प्रवेशार्थी छात्रों की क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 करने की स्वीकृति जारी करने एवं अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध कराने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

4. विधायी कार्य

(क) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-39)	"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..2..

(II) राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण)(संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक- 4) के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को प्रख्यापित राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक-4) को अस्वीकार करता है ।"

(II) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण)(संशोधन) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-6)

"राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(III) राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018

(I) श्री अमराराम, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-5)

"कतिपय भूमि विधियों को निरसित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..3..

(ख) पुनर्विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015

(I) श्री श्रीचन्द कृपलानी, प्रभारी मंत्री राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत लौटाये गये निम्नांकित विधेयक पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व
विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-13)

"किसी भवन में अलग-अलग अपार्टमेंट के और ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हित के स्वामित्व के लिये उपबंध करने और ऐसे अपार्टमेंट और हित को दाययोग्य और अंतरणीय बनाने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पुन: संशोधित रूप में पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 06 मार्च, 2018